न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, नीमराना अलवर राज0
पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] (आर.ए.एस.)
प्रकरण नं0 संख्या : 429 / 2023
तारीख रजू 18.10.2023
प्रारम्भिक निर्णय दिनांक :

उनवान

1 तेजपालसिंह पुत्र श्री जयदयाल सिंह जाति अहीर निवासी घीलोठ तह0 नीमराना नया जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

बनाम ....वादी

1 अनीता पुत्री जयदयाल जाति अहीर
2 राजवीर पुत्र जयदयाल सिंह जाति अहीर
3 मधु पत्नी तेजपाल जाति अहीर
4 लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना तह0 नीमराना नया जिला कोटपूतली–बहरोड
5 उपपंजीयक नीमराना तह0 नीमराना नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
6 श्रीमान् शाखा प्रबधक जरिये युको बैंक शाखा–नीमराना तहसील–नीमरानानया जिला कोटपूतल–बहरोड राज0।
7 श्रीमान् शाखा प्रबधक जरिये युको बैंक शाखा–नीमराना, तहसील नीमराना नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......प्रतिवादीगण
दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–श्री मुकेश यादव योग्य अभिवक्ता ओर से वादी
श्री मंजीत यादव & उदयसिंह यादव योग्य अभिवक्ता ओर से प्रति.सं0 1,2

।। प्रारम्भिक डिक्री ।। दिनांक : 19.03.2024

आज यह पत्रावली पेश हुई । पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 1630 रकबा 0.35 है0, 1631 रकबा 0.30 है0, 1632 रकबा 0.10 है0, 1635 रकबा 1.22 है0, 1634 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना नया जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है उक्त खसरा नम्बर 1630, 1631, 1632, 1635 के 2/3 हिस्से का तथा खसरा नम्बर 1634 के 1/6 हिस्से का खातेदार वादी है तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 दर्ज रिकार्ड है। जो आराजी बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। मौके पर मिन वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है लेकिन प्रतिवादीगण अच्छी से अच्छी आराजी पर कब्जा कर उसमे प्लाटिंग करना चाहते है और मिन वादी के हिस्से की आराजी नही छोड रहे है। मिन वादी द्वारा प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाने से साफ इंकार कर दिया इसलिए आराजी मुतनाजा की अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से तहसीलदार नीमराना से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर उसके आधार पर मिन वादी के खातेदारी हिस्से का अलग से तकासामा किया जाकर उसका खातेदार मिन वादी को तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी हिस्से का अलग से तकासमा किया जाकर उसका खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित किये जावे तथा प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जावे कि वो जब तक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा नही हो जावे तब तक आराजी मुतनाजा के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा कर उसे अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल नही करे ना ही किसी प्रकार की प्लाटिंग आदि करे । मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से श्री मंजीत यादव एण्ड श्री मुकेश यादव ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी 4,5 व 7 बाद तामिल न्यायालय मे तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 6 शाखा प्रबन्धक स्वंय उपस्थित आये

प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये वकील, वादी के वाद पत्र के सभी तथ्यो को स्वीकार करते हुऐ इकबाल जवाब दावा पेश किया गया

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वकील वादी की बहस का समर्थन करता हुआ आराजी मुतनाजा की कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर विधिवत रूप से विभाजन किया जाने अपनी सहमती जताई गई।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दावा के साथ पेश जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के मुताबिक दावा मे वर्णित आराजी के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा वादी द्वारा अपने दावा मे आराजी मुतनाजा बिना बटी हुई होना एवं आराजी मुतनाजा की कुर्रे रिपोर्ट अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से मंगवाई जाकर, भूमि का विभाजन करने के तथ्य अंकित किये गये है । जिसकी पुष्टि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा करते हुऐ इकबाल जबाब दावा पेश किया गया है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनकी एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से विभाजन किया जाने के लिए कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक होता है। कुर्रे रिपोर्ट से किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार नष्ट नही होते है। ऐसी स्थिती मे दावा मे वर्णित आराजी की तहसीलदार नीमराना से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायोचित है।

अतःवाद वादी प्रारम्भिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाकर, तहसीलदार नीमराना को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षो की मौजूदगी मे आराजी खसरा नम्बर हाल 1630 रकबा 0.35 है0, 1631 रकबा 0.30 है0, 1632 रकबा 0.10 है0, 1635 रकबा 1.22 है0, 1634 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना नया जिला कोटपूतली–बहरोड के खातेदारी हिस्से के मुताबिक कुर्रे कायम कर कुर्रे रिपोर्ट पेश करे, जिससे तकासमा की अन्तिम डिक्री पारित की जा सके। तहसीलदार मांढण को उक्त आराजी पर,कुर्रे कायम़ करने के लिए अलग से तहरीर जारी करने के आदेश दिये जाते है । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रारम्भिक डिक्री आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

पंकज बडगूजर 19.03.2024
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक
425/2023	18.10.2023	19.03.2024

उनवान

1. तेजपालसिंह पुत्र जयदयालसिंह जाति अहीर निवासी घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादी

बनाम

1. अनीता पुत्री जयदयाल
2. राजवीर पुत्र जयदयाल
3. मधू पत्नी तेजपाल जातियान अहीर निवासीयान घीलोठ तह0 नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)
5. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)
6. शाखा प्रबंधक जरिये यूको बैंक शाखा नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)
7. शाखा प्रबंधक जरिये बी0ओ0बी0 बैंक शाखा नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हु0इ0 दवामी

–:प्रारम्भिक पर्चा डिक्री:–

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री मंजीत यादव व उदयसिंह यादव अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 19.03.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दी जाती है कि:–

न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन के वादीगण के वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम घीलोठ के हाल आराजी ख.नं. 1630/0.35, 1631/0.30, 1632/0.10, 1635/1.22, 1634/0.48 हैक्टेयर का विभाजन कर लगान अलहेदा कामय किये जाने के आदेश दिए जाते है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदर नीमराना को आदेशित किया जाता है कि पक्षकरान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी नियत तारीख पेशी 15.04.2024 से पूर्व इस न्यायालय मे भिजवाये।

यह प्रारम्भिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

19/03/2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)